

असाधारण EXTRAORDINARY

> भग।- छण्डा PART I-Section 1

प्राधिकार में प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

≓: 50] so. 50 1

नर्ड टिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 1997/फालान 27, 1918 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 1997/PHALGUNA 27, 1918

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(प्रिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1997

प्रचन्यत शिक्षा सहित उच्च और तकतीकी शिक्षा प्रदान करने वाली निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में मृतक तिथांगत नीति

सं. एफ. 20-43/96-डेस्क (यू.).—उन्होकुण्यत जे. पी. बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य मानत में भारत उच्चतम न्यायलय ने ६ काणते. 1993 को निर्द्ध में सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं विशेष तौर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में दाखिला और शुक्त लेने को प्रक्रिया को विनियनित करने वाली एक योजना निर्धारित की। इसके बाद इस योजना का "उन्नीकृष्णन मामले में योजना" के रूप में उल्लेख किया जाएना। अनिरिन उपाय के तीर पर योजना में एक तदर्थ शुक्क निर्धारण प्रक्रिया और कतिपय सम्बद्ध विषयों का प्रावधान किया गया। तथापि, दीर्यकालिक उपाय के तीर पर योजना के पैरा 6(6) में यह अपेक्षा को गई है कि अखिल भारतीय तकतीको शिक्षा परिपुर्ट (ए.आई.सी.टी.ई.), विस्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) और भारतीय चिकित्सा परिषद तथा देत चिकित्सा परिषद इस मामले में उपयुक्त दिनियमाँ को बनाएँ जो इस योजना के तर्दर्भ प्रावधीनों को जगह ले सके।

- 2: उपयुंक्त निर्णय के अनुसरण में विभिन्न राज्यों के निजी इंजीनियरिंग कालेज़ी में न्यायालयों द्वारा उपयुक्त समझे गए दर्रो गर गुरूक निर्थाति किए गए। तत्परचात् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदं द्वारा विवियम् निर्धारित किए गए जिनमें मुख्य हाँर पर न्यायलय द्वारा निर्धारित योजना की बिशेषताएं सामिल की गई। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस विषय पर विनियमी का प्रारूप दैयार किया है। नथापि, विकित्सा और दंत चित्रित्सा कालेजों के मामले में समय-त्तनय पर न्यायालय द्वारा सुरक्त की दर्रे निर्धारित की गई हैं।
- 3. न्यायालय ने उत्तीकृष्णन मामले में योजना के कार्योत्यक्षत के स्तर पर विचार किया था, जैसा कि 1993 के मी. डब्ल्यू मी. न. ३१७ में आई ् ते. 65 में इसके विभिन्न आदेशों द्वारा संशोधित किया गया है। 9 अगस्त, 1996 की प्रारित आदेश में शिक्षा मंग्रतथ सहित केना माणाए से विजितका. इंडोनियरी और दंग विकित्स कालेजों के लिए पूरे देश में दीन मह के भीतर सहित्य गुल्क डॉवा दैयार करने के लिए संधी मंगीयन प्राधिकर से बीट केटक वृतात के वास्ते करम उठात को अपेक्षा है—जिसे अब 28 फावरी, 1996 तक के लिए प्रवादियां गया है।
- 4. तदनुसार सभी संबंधितों, अयति स्वास्त्य और परिवार कलागि निकलय तथा रिप्थि निकलय, भारतीय विकितन गोराद भारतीय देव निकलित मरिन्य, अव्वित भारतीय तकतीको सिथा परिषद और विजयविधालय अनुवान आयोग तथा तकतीको, छच्च और विकित्स शिल के विभाग के पतिविधियों को बैटकी 30 अगस्त, 1996) तथा है अन्त्रूका, 1996 को आयोगित को गई जिनमें सभी प्रोसीगित पुरुद्दी की विकी किया गया है येटकों के अनुसरण में नवास्य एवं प्रतिवार अस्थाय मंत्रात्य की यह राय यसी कि मिलिस्स अहर देश विकास कारोजों के दिए प्रशायित गुल्क बोधा अत्या में तेयार किया णाए और **पक्ष** कि सभी करवसायिक मेर सामवार प्राप्त संस्थाओं के तिहरू कानतीर मा एए समान सुल्क और आहोन कानशीक नहीं ह

 $(1) \cdot \cdot$

att 0191

াল আৰম্ভ আম্ভেৰ বিশেষে লগে এচি বাংলা ওঁচিক भंगेच की पण वंशा पुरर्ध ने संवयन गा सेगव संख्या बचाई प्रणा एका व विकास सम्मद के कार्यश्रेष पा आर्थन क्रम किया स ै भरीत. ভল গ্ৰী প্ৰদীনী নিধা কৰিব ইটি নিম ক্ষমন্ত হৈ লৈনি পৰা ^{সা}ৰ্ কৰ্ম<mark>ইছিল ই মহ বঁচ কি</mark>ম্ম ৰাম সৈ সাজ লৈ গাওৰ গৰাৰি প্ৰতিক रिक्ष प्रतिगढ़ ने अपने विकित्स की अधिस्तिन कर राज है तथा विका भरताय अनुवन आपीत भी ऐसा करते नामा र किए भी तज प्रधान नीति निर्देश भी सरकार दाय बनाए जाने हैं ताकि मुक्त को हमें को तिथितित कार्य में एमिलिक सभी पहलुओं की सामित किया जा मोर्ग जा करमूम किया गए है। इन सेंदि बोपराओं के तकार में वितियमी पात्र वितियमी में ओर बोबदंग तथा स्थार समावित्र किया जाता वाहिए।

 राष्ट्रकी आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जनांटक और नमिलनाहु को राष्ट्र सरकारों को मरकारों बैठकों में म्बोक्ट और उक्रमा और टक्सोकी । के लिए राज्य मनकारों के मंत्रियों की बठकों में भी ममर्थित विमृत मिद्धानों के आधार पर तैयार उच्चतर और तकरोकी जिल्हा क्षेत्र मे किलो राज महामन प्राप्त संस्थानों में शुलक निर्धारण को चीति को महर्ष सर्वकार करते हैं । मीतियाँ अनुवर्ती देखभी में दी गई हैं :

भाषाय मिहातः

मीचे प्रतिपत्निक नोति भंगेथी दिया-निर्देश मणत संस्थाओं में एक जॉबन गुल्क ढांबा मुनिशियन करना बागने हैं। प्रीति भी गुल्क उपन जीने हैं इसके लिए बरारी है कि वह सभी संबंधितों अर्थात् छात्रों अर्थव उनके अधिभावकों, प्रबंधत, संकाय सदस्यों और कर्मताणियों के लिए स्पादमात हो प्रकार की नीति का आधार सामिनसीकाण तथा मुकासा कमाने की राष्ट्री में बचना होता चाहिए तथा साथ ही साथ मानबी के अनुएशत और मुविशीओं और परिसंपतियों के रख रखत का भी मुनिर्दय दोना चाहिए। उन कारों को मुख्य तप से ध्यान में रखते हुए निम्नतिखित को बिम्तृत सामन्य मिर्गाती है का में सान, का सकता है जो बर्तमान नोति होया को अध्ययत कराता है :

- (i) मुनाश कमाते को पहिले का निरंध तथा यथासंभव न काथ न हाति के लिखांत का मुतिरचय को उन्होंक आप मामते में प्रोत्यत को विशेष्ट
- (ii) त्र्यावसायीकरण से बचने संबंधी आधारभूत सिद्धांत में बनेर लिसी के ऐसे मृत्य को अनुमति देना तिन्समें कि मुखियाओं का परिन्याक को अ ^{*}- * सरोनपन हो सके:
- (iii) शुक्त निर्धारण के लिए पण्टर्सी और बोधगम्य प्रक्रिया का प्रावधान करता,
- (iv) और इसे सिर्फ कालेजों तक सोमित नहीं करना बीटक सभी निजी गैर महायता प्राप्त संस्थाओं को घोलना के जायेक्षेत्र के अनरीत सात
- (v) सुल्क निर्धारण को प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकारों को भागीदार बनाना।
- 6.2 प्रयोज्यता :

ये नीति दिशा निर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगी : 💎 👾 💛 👾 👾 🕾 🕮 🕏

- (क) अखिल भारतीय तकनोको शिक्षा परिषद आधिनियम, 1987 (1987 को अधिनियम 52) के तहत यथा परिभाषित तकनोको शिक्ष वाली स्व-पोपित संस्थारं जिनमें डिग्रो प्रदान करके या किसी और तरह से प्रबंधन में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थार है 🥕
- (छ) "सहायता अनुदान आधार पर नहीं" के आधार पर संवातित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेज, और
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 3) के अधीन ''सम-विद्यालय'' संस्थाएं, यदि इस प्रश को संस्थाएं केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा उनके नियंत्रणा<u>ष्ट्रीत संवित्रक अनुदान संवित्रक निकारों</u> से अनुरक्षण अनुदान किए विना स्व-वित्तमापित आधार पर संचालित है।
- 3.2 पद्मीप सम-विखिविद्यालयों को बन्तोकृष्णन मामले में योजना में स्मष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है तथापि, इस नीति के क्षेत्रीत उनके शानिल होने को इस आधार पर आवश्यक समझा गया है कि ऐसे संस्थानों को निजी कालेजों के समतुल्य समझन औदित्यपूर्ण और उपयुक्त है
 - 6.3 प्रवेश :
- 4.1 उन्तोकृष्णत मामले में योजना में प्रवेश के ढंग और पद्धति मुल्क ्तियूरिण कार्यविधियों का अभिन्न अंग है। अतः उस योजना में सिन्तिन प्रवेश कार्योविधयां मीजूरा नीति के अंतरीत शामिल मंस्याओं पर लागू होंगी। चूँकि विस्वविद्यालय अनुदान आयोग आधितपम में आयोग को प्रवेश् 🗷 संबंधित जितियम जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है, अतः उन्तीकृष्णत् सानेले में तिरोय तथा नीजूरा संकल्प इस आयोग को उन्तीकृष्णत मानले ्योजना के अनुसार प्रदेश से संबंधित उपसुक्त प्रावधान यनाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
 - ६.४ शुल्क निधारण :
 - (क) विभिन्न श्रीमयों को संस्थाओं द्वारा तिए जाने कर्त गुल्क का तिकारण क्रिनितियों द्वारा निन्न प्रकार किया करणाः
- (छ) । तकरोको सिक्षा प्रधान करने बालो संस्थाओं में सुल्क का निर्धारेषे गुल्म स्वर् को स्तिनित्मों ग्रंग किया ज्याना विपर्ने जिन्निति こことによりませななどでは特殊でき
 - (i) एत्य में विस्त्रविद्यालयें में से मंबंबित ग्रन्थ सरकार द्वारों मानित किए जाने वाले एक विद्वाविद्यालय का लुलपति अध्यक्ष
 - ्राक्तीको क्रिस्त तथा मोर्को त्र गुण्य महस्रह विक्रित विभाग के प्रभावे महिष्य अवस्य उनके नामित वर्गता—साम्य

- (iii) अखिल भारतीय तकतीको शिक्षा परिषद द्वारा तानित किए जाते वाले तीत विशेषत. अर्थशास्त्र, कास्ट अकाउँटेंनी तथ संस्थागत वित, प्रत्येक में एक एक विशेषत्र—सदस्य
- (iv) संबंधित राज्य का तकनोको शिका निदेशक—सदस्य सचिव
- (ग) सहायता अनुदान नहीं के आधार पर नंवालित संबद्ध कालेजों में लिए जाते योग्य शुक्क का विधीरण ग्रन्थ सार की सामितियों द्वारा किया जाएगा जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे: —
 - (i) मंबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य के किसी एक विरविद्यालय का कुलपति—अध्यक्ष
 - (ii) उच्चतर शिक्षा तथा वित्त विभाग के प्रभाग सचिव अयवा उनके द्वारा नामित—सदस्य
 - (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ, संस्थागत विज, कास्ट अकाउँदेसी तथा अर्थणास्त्र में प्रत्येक में एक-एक विशेषज्ञ-सदस्य
 - (iv) गुज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले किसी एक विरवानेद्यालय के वित्त अधिकारी सदस्य; और —
 - (v) संवंधित गुज्य के उच्चतर अथवा कालेजीय शिक्षा का प्रभारी निदेशक—सदस्य
- मम विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाओं द्वारा लिए जाने योग्य शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्थायी समिति
 द्वारा किया जाएगा जिनमें निस्तितिखत सामिल होंगे :—
 - आयोग का एक सदस्य—अध्यक्ष
 - (ii)- -- आयोग द्वारा नानिः किया जाने वाले एक कुलपति —सदस्य
 - (iii) आयोग द्वारा मानित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ अर्थशास्त्र, कास्ट अकाउँटेंसी तथा संस्थापत वित, प्रत्येक में एक-एक विशेषज्ञ— सदस्य
 - (iv) जहां कोई सम-विश्वविद्यालय तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा में पाट्यक्रम आयोजित करता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
 भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद्, जैसा भी मामला हो, का कोई नामित व्यक्ति—सदस्य
 - (v) उस राज्य के उच्च/तकनोकी मेडिकल शिक्षा सिवव (संस्था की विशेषज्ञता के आधार पर) अथवा उसके नामित व्यक्ति को, जहां सम-विश्वविद्यालय स्थित है, उस राज्य में सम-विश्वविद्यालयों के लिए शुक्क ढांचे के निर्धारण के उद्देश्य के लिए ही सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।
 - (vi) आयोग का अपर-सचिव ब्रेणी का कोई अधिकारी—सदस्य सचिव

6.5 समिति द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य विधि

- (क) 5.2 तथा 5.3 में उल्लिखित समितियों को क्रमशः संबंधित एउप सरकार के तकनोको तथा उच्चवर शिक्षा निर्देशालय द्वारा सिववालय सहायता प्रदान की जाएगी। 5.4 में उल्लिखित स्थायों समिति को आयोग के सिववालय द्वारा सहायता प्रदान को जाएगी।
 - (ख) पदेन सदस्यों को छोड़कर समिति के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति की सिकारिश भी तीन वर्ष तक वैध रहेंगी र
- (ग) प्रत्येक सिमिति अपनी कार्य विधि तैयार करने के लिए स्वतन्त्र होगी। तथापि, इस कार्यविधि में अनिकर्यतः संबंधित संस्थाओं को उनके द्वारा संगत समझे जाने वाली सामग्री प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना शामिल होगा। सिमिति को जैसा वह संगत समझे सूचना तथा ब्योरा मेंगवाने को अधिकार होगा। अपने कार्यों को अनुविद्धार से चलाने के लिए निकाय संस्थाओं के अनुपालनाथ तथा सिमितियों को अपने कार्यों पूरा करने के लिए निकाय संस्थाओं के अनुपालनाथ तथा सिमितियों को अपने कार्य पूरा करने के लिए निकाय संस्थाओं के अनुपालनाथ तथा सिमितियों को अपने कार्य पूरा करने के लिए निकाय संस्थाओं के अनुपालनाथ तथा सिमितियों को अपने कार्य पूरा करने के लिए निकाय संस्थाओं के अनुपालनाथ तथा सिमितियों को अपने कार्य पूरा करने के लिए निकाय संस्थाओं का अनुपालनाथ तथा सिमितियों को अपने कार्य पूरा करने के लिए निकाय संस्थाओं के अनुपालनाथ तथा सिमितियों को अपने कार्य पूरा करने के लिए निकाय संस्थाओं के अनुपालनाथ तथा सिमितियों को अपने कार्य पूरा करने के लिए निकाय संस्थाओं के अनुपालनाथ तथा सिमितियों को अपने कार्य सिमितियां को अपने कार्य सिमितियां का सिमितियां कार्य सिमितियां सिमितियां सिमितियां सिमितियां सिमितियां कार्य सिमितियां सिमितिय
- (य) निधारित किया गया गुल्क तीन वर्ष तक लागू रहेगा। समितियां विभिन्न श्रेणियों में आने वाली संस्थाओं के लिए यदि श्रेणीकरण को व बुद्धिनलापूर्ण इंग से और वस्तुपरक मानदण्डों के आधार पर आवित्यपूर्ण पाया जाता है, तो शुल्क को भिन्न-भिन्न दरें निधारित कर सकतों हैं। विशेष रूप से चिनतियां ग्रामीण-क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न दरें निधारित करने को स्वतन्त्र होंगों। वास कार्य होता के लिए भिन्न-भिन्न दरें निधारित करने को स्वतन्त्र होंगों। वास कार्य होता के लिए भिन्न-भिन्न दरें निधारित करने के लिए
- (ड) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय दक्षतीको शिक्षा परिषद् को, जैसा भी मानला हो, उनके क्षेत्रप्रिकारीतांव स्पिनितियों हे सुचना तथा सम्बीकरण मंगवाने का अधिकार होगा।
- (चं) लिए जाने योग्य गुल्क का निर्धारण करते समय, समिति का कहाय होगा कि वह यह सुनिरियद करें के गुल्क संबंधित संस्थाओं के लिए लाभ अधवा व्याणिक्यीकरण का बांत न बने। यह दृष्टिकोण गुल्क निर्धारण करने से संबंधित मानतों में न्यायालय के निर्धियों के अनुक्य होगा।
 - (फ) शुल्क की दो बड़ी ब्रेजिय होंगी—शिक्षण गुल्क और विकास शुल्क।

इस्के श्रीतरिक्त, संस्थारमें के प्रवेधने उपयुक्त कार्ते में काल्यामंत्र और भोजन क्यांन्या की कार्तिक नामने बस्त कर सकते हैं कार्ते अनगीन्यत स्थिति ऐसी लाग्नों की उपयुक्तता से संदुर्व हो।

- ंड) जिसम सुन्य में जिस प्रति भरते को बार्कारम लांड को प्रतिपृत्ति भरते को अपेशा होगी। मौगीत पर्य बहित हुन्य का निभरित पर्यानी स्थानिम्पीनीवत का भ्यार रखेंगी :--
 - विभाव आर विकारित परिवारियों के प्रीत्य, की देव हो, सहित बेल्प अंत भते;
 - (॥) जनसील सेमओं र उर्दे:

- (iii) उपयोग में आने कालो वस्तुओं स्तीहत प्रयोगतालाओं के अनुप्रथा भी लागतः
- (iv) विधिक अपेक्षाओं जैसे लेखा-परोक्षा गुल्क, आदि महित आक्रीम्मक त्यपः;
- (८) पुलकालयों के लिए पुलकों और पत्र-पत्रिकाओं को प्राप्त करने की लागत। और
- उपयुक्त पैरामीटरों को ध्यान में राखते हुए निःमुल्क भुगतान और अप्रवासी भारतीयोगियरेशी छात्रों अगोद श्रीणयों के सोट धारकों के लिए उपयुक्त दो निधारित
- (ग) जहां भी कर्रवारियों के वेतन और अन्य महीं के खर्चे के मानदेंड अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, वहां विश्वविद्यालय अनुवान आयोग और अखिल भारतीय तकतीकी शिक्षा परिषद् ऐसे मानदंडों को सध्य सीमा तक मुरंत तयार करेगी। जिन मामलों में विनिद्धि मामामक मानदंडों का निर्धारण न मुख्यिल है। उनमें सम्बंधित समिति सम्बंधित खर्च को प्यांजता और ऑपियल के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगी। यह सुनिरियत करते के लिए प्राप्त
- (घ) क्योंकि उन्तीकृष्ण मामले में योजना में व्यवमार्योकरण और लाभ कमाने का निषेध किया गया है, अतः मार्योधत संस्थाओं को निवेश मा ंता प्रार्का कि परियोजनापत खर्च प्रायोजकों के लाभ का साधन न वर्षे । । १ लाभ हेतु दावा करने की अनुमति नहीं होगो। तथापि, इसे संस्थानी के और आगे विकास के लिए और परिसन्पत्तिमों को बदलने और उनके उन्हपन के िल्ल् सहाधन जुटाने के लिए संस्थानों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जबिक, निवंश पर प्रतिलाभ अनुवेष नहीं होगा, स्यापालय ने नीकृणान निर्णय में निवंश पर वसूली का प्रश्न केन्द्रीय सरकार और सीविधिक निकायों पर छोड़ दिया है। अतः यह वांछनीय समझा गया है कि विकास ुल्क में प्रबंधन को ऑशिक पूंजीगत द्वागत वसूलों के एक तत्व (परन्तु निवेश पर कोई प्रतिलाभ नहीं) उसके अनुरक्षण तथा प्रतित्थापन के लिए संस्थिप
 - (ङ) विकास गुल्क अखिल भारतीय तकतीकी गिला परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जैसा मामला हो, प्रत्येक तीन बर्ण में के हम में काम आते के लिए व्यवस्था को जा सकती है। ।तथारित को गई समान दरों पर हो सकता है।'' भुगतान वाली'','' बोन्यता वाली'' और विदेशी/अप्रवासी भारतीय सीट धारकों के लिए विभिन्न दरें निथारित को जारंगो। ये विकास संस्थानों को विभिन्न ब्रेजियों के लिए स्लैव निर्धारित करने के उद्देश्य से संस्थानों का विभिन्न ब्रेणियों में वर्गीकरण भी कर सकते हैं करते इस प्रकार का वर्गीकरण विवेकपूर्ण और उद्देश्य मूलक नानदंड पर आधारित हो।
 - (च) पहले दस वर्षी में विकास मुल्क को आप का ठोक आधा अथवा इस लागत का वास्तविक मूल्य इसमें से जो भी कर हो प्रवेधनों गर निर्भर होगा कि वे उसे ले सकते हैं। शेष आधा पहले दस वर्षों ने उनवन और प्रतिस्थापन के लिए उपयोग किया जाएगा और इसके बाद सम्पूर्ण आय का उसी
 - (छ) जो फोस देय होगों वह सन्वधित समिति द्वारा अधिस्चित की जाएगो, यह सम्बंधित सांविधिक निकाय का दायित्व होगा कि वह ऐसे निकायों को काफी पहले विकास शुल्क को दर सूचित करे जिससे उपपुक्त समिति अपनी अधिसूचना में इन दरों को उपपुक्त हुंग से शामिल कर सके। प्रकार उपयोग करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनोको शिला परिषद, जन इन दरों की निर्धारण करेगी तब निर्जी संस्थाओं, राज्य सरकारों और जनता विश्वविद्यालय अनुदान आयान आर आखल भारताय तकताका ।राज्ञा भारवद्, जन २७ वर्ग वरा का नवारण भारता अन्य । राज्य अन्य के इच्छुक सदस्यों के मुझावों और विचारों का ध्यान रखेगी।

6.7 शुल्क लेखों का अनुरक्षण

- (क) संत्याएं दो लेखे रखेगी—अनुरक्षण लेखे और विकास लेखे। (ख) शिक्षा शुल्क और भीजन एवं आवास को लागत चस्तियों से आय-अनुरक्षण लेखे में जन्म किया जिएगा। यह लेखा दो भागों में एक जाएना-(क) बेतन और भन्ने तथा (ख) अन्य खर्च। सभी प्रकार का आवर्ती खर्च इसी खाते से किया जाएना और इन दो भागों के अधीन हिसाब रखी जाएना।
- (ग) पहले दत वर्षी में विकास शुल्क से प्राप्त कर से कम आधी आप को विकास खाते में जना किया जाएगा उत्तक बाद यह लेखा इत शुल्क की सम्पूर्ण आप जान करेगा, संस्थान को विविध आप भी इसी खाते में जना की जाएगी। इस शुल्क से प्राप्त आप का उपयोग उपस्करों की खरीद, पुम्तकों और पत्रिकाओं तथा परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए किया जाएंगा। यह प्रयंथनों पर भी निर्भर होगा, कि वे संकाय सुधार संबंधों खर्च भी इस खते में
- (ज) विस्वविद्यालय अनुदान जायोग और अखिल भारतीय तकतीकी शिक्षा परिषद के विनियनों ने सम्बंधित संस्थाओं के लेखों की लेख (अ) । वरवावधालय अनुपान आपान आर आवर गुरुमान मन एन एन एन एन एन हों के बिल्हें होंचें के अनुरूप हैं। इतेका को व्यवस्थ वह मुनिरिचत करने के लिए होगी कि विजीय प्रयोग इन मार्गयशी सिद्धानों और विनियमों के विल्हें होंचें के अनुरूप हैं।
- 6.5 जुल्क निर्धारण से सन्वीधित अन्य प्रक्रियालक मानते : जिल्ला हे १००० एक एक विश्व के लिए सुल्क का पुनतन अप्रित किया जाणा । (क) एक बार नियत किया गण शुल्क तीन वर्षों की अवधि के लिए वैद्य होगा। एक तत्र के लिए सुल्क का पुनतन अप्रित किया जाणा । प्रचीत सनिति, अगले वर्ष के लिए प्रचीत वर्ष दिसमार साम में प्रति सप्र वेष कुल सुस्क को सन्यन्यित राज्य के ऐसे हो समावार पत्रों में बाजसाधारण है। म्हणारं एकतित कोगो किन्या परिचला सम्पूर्व राज्य में हो। इस गणा के होते हुए भी कि एक बार निर्धारित किया गम मुल्कातीन को के लिए होगा। र कार्र की से चित्र जाता।
 - (छ) आयमी तीन वर्षी के देन, शुक्त का निर्याल करते मनम, सनितियां प्रतिक तीन वर्षी में एक बार मुख्य निर्याल करते के मनम ें किन्द्राच करते में जम खर्म न को तहें होत होते. घंदे कोई हो, का क्यान पर्छे में ।

- (ग) जो संस्थाएं निर्धारित दर से अधिक शुल्क की उगाही कीरेंगी अथवा निर्धारित गेति में लेखीं का रख-रखाव नहीं कर पाएंगी वा अन्याय उपयुक्त विनियमीं का उल्लंबन करते पाउँ जाएंगी उनकी अनुमति/सन्यद्धता रह कर वी जाएगी। उपयुक्त विनियमीं में मार्ग-दर्शी सिद्धांत शामिल किए जाएंगे।
- ्र संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय दक्षतीकी शिक्षा परिषद् के विनियमों में उपहुक्त इंग में शामिल किया जाएगा।
- 3. इसके आंतरिक्त यह संकल्प किया जाता है कि उपयुंक्त प्रयोजनों के लिए यह संकल्प विख्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन और अखिल भरतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश समझ जाए।

पी. आर. दासगुजा, सविव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 18th March, 1997

RESOLUTION

Policy on Fee Fixation in Private Unaided Educational Institutions imparting Higher and Technical Education including Management Education.

- No. F. 20-43/96-Desk(U).—The Supreme Court of India in Unnikrishnan JP versus State of Andhra Pradesh had, on 8th February, 1993 laid down a scheme regulating admission and levy of fee in private unaided educational institutions particularly those imparting professional Education. This scheme will be referred hereinafter as the 'Scheme in Unnikrishnan'. As an interim measure the Scheme provided for an adhoc fee determination procedure and certain allied matters. As a long term measure, however para 6(6) of the scheme required that the All India Council of Technical Education (AICTE), University Grants Commission (UGC) and the Medical Council of India, and the Dental Council will frame suitable regulations in the matter which would replace the adhoc provisions of that Scheme.
- 2. Pursuant to the above decision, fee was fixed in various States in Private Engineering Colleges at rates that were found to be suitable by the Courts. Regulations were framed soon thereafter by the All India Council of Technical Education broadly incorporating the features of the Scheme laid down by the Court. Similarly, the University Grants Commission has also prepared draft regulations on the subject. In case of Medical and Dental Colleges, however, rates of fee have been laid down by the Court from time to time.
- 3. The Court had occasion to consider the status of implementation of the Scheme in Unnikrishnan, as modified by its various orders, in IA No. 66 in CWP No. 317 of 1993. The orders passed on 9th August 1996 require the Central Government, including the Ministry of Education to take steps to convene a meeting of all the concerned authorities for evolving a proper fee structure for Medical. Engineering and Dental Colleges throughout the country within three months—which now stands extended till 28th February, 1997.
- 4. Meetings of all concerned, viz. the Ministries of Health & Family Welfare and Law and the Medical Council of India, the Dental Council of India, the AICTE and the UGC, and Representatives of Technical, Higher and Medical Education. Departments were, accordingly, held on 30th August, 1996 and 8th October; 1996 where all the relevant issues were considered. Pursuant to these meetings. Ministry of Health & Family Welfare, took a view that the proposed fee structure for Medical and Dental Colleges could be evolved separately, and that it was not practicable to have a common fee structure for all professional Unaided institutions generally.
- 5. To take a final view in the matter, a meeting of State Higher and Technical Education Ministers was convened by the Union Minister of Human Resource Development on 10th December 1996 wherein it was decided that self-contained policy directions could be issued applicable to sectors of education, falling within the purview of the Ministry of Human Resource Development, namely Higher and Technical Education. The meeting noted that while the AICTE had notified its regulations and the UGC was in the process of doing so, uniform policy, directions were still needed to be laid down by the Government to cover all aspects of relevance in determining rates of fee. It was felt that further changes and details could be incorporated in the regulations draft regulations in the light of these policy declarations.
- 6. President of India is pleased to approve the policy on Fas determination in Private Unaided Institutions in the Flight of Technical Education Sectors, formulated on the basis of the proced principles arrived at in the meetings of the officials of the Governments of Andhra Pradesh, Maharashtra, Kamataka and Tamil Nadu and also endorses in the meetings of the Ministers of State Governments for Higher and Technical Education. The policy is fall down in succeeding parts:

General Principles:

The policy guide-lines enunciated below seek to ensure a fair fee structure in the relevant institutions. A fee structure to be fair, has to be fair to all concerned, namely the students and their guardians, the management, faculty members and playees. The bed-rock of such a policy has to be avoidance of commercialization and profit-making while simultaneously a maintenance of standards and upkeep of facilities and assets. Keeping these as prime considerations, the following identified as the broad general principles which inform the present policy framework:

- Prevention of profit making and ensuring, as far as possible, the principle of no-profit-no-loss which underlines the scheme in Unnikrishnan;
- Without diluting the fundamental concern of avoiding commercialization, to make allowance in the fee so as to provide for replacement and upgradation of facilities:
- Providing for a transparent and intelligible procedure for fee determination:
- Bringing all private unaided institutions within the purview of the scheme—not merely confining it to 'Col-
 - Involving the State Governments concerned in the process of fee determination.

plicability:

These policy guidelines will apply to the following:

- (a) Self-financing institutions imparting technical education as defined under the All India Council of Technical Education Act, 1987 (Act 52 of 1987), including institutions imparting Post-Graduate Education in Management whether by awarding degrees or otherwise;
- Colleges, affiliated to the universities, operating on 'no grant-in-aid' basis; and
- Institutions "deemed to be universities" under the University Grants Commission Act, 1956 (Act No. 3 of 1956), if such institutions operate on self-financing basis without receiving maintenance grants from the Central or State Governments or statutory grant disbursing bodies under their control.
- Even though 'deemed universities' are not expressly included in the Scheme in Unnikrishnan, their inclusion cithin the purview of this policy is considered necessary on the grounds treating such institution at par with private colleges e just and appropriate.

In the scheme in Unnikrishnan, the manner and method of admissions form part and parcel of the fee determi-B..dmissions: a procedures. The admission procedure incorporated in that scheme will, therefore, apply to the institutions covered under e resent policy. As the UGC Act does not empower the Commission to issue regulations relating to. Admissions', the adement in Unnikrishnan and the present Resolution will be construed as enabling the Commission to make suitable provirelating to admissions in accordance with the scheme in Unnikrishnan. ाहित स्थान स्थान के हम्मी पूर्व क्षेत्र के स्थान

etermination of Fee:

- (a) Fee chargeable by various categories of institutions shall be determined by the Committees prescribed below.: . . .
- (b) Fee in institutions imparting technical education will be determined by State Level Committees consisting of the
- (i) Vice-Chancellor of one of the universities in the State to be nominated by the State Government concerned
- Secretaries in-charge of the Technical Education and Finance Departments of the State Government concerned or their nominees-Members:
- Three experts, one each in Economics, Cost Accountancy, and Institutional Finance, to be nominated by the All India Council of Technical Education - Members;
- (iv) Director Technical Education of the State concerned the Members-Secretary; 1.12
- (a) Fee chargeable in affiliated colleges operating on 'No-Grant-in-aid' basis shall be determined by state level
- Wice-Chancellor of one of the universities in the State nominated by the state Government concerned-
- (II) Secretaries in thange of the Higher Education and Finance Departments or their nominees.—Mambers:
- Three experts one each in institutional Figures. Cost Accountancy and Economics to be neminated by the University Grants Columbission-Memberst
- Finance Officers of one of the Universities to be nominated by the State Government-Membert and Winder or Calle time Education of the State concerned. Member Secretary.

- Fee chargeable by Institutions deemed to be universities will be determined by a Standing Committee of the University Grants Commission consisting of:
 - (i) A Member of the Commission-Chairperson;
 - One Vice-Chancellor to be nominated by the Commission-Member;
- Three experts, one each in Econimies, Cost Accountancy and Institutional Finance to be nominated by the Commission-Members:
- Where a deemed university conducts courses in Technical Medical Education, a nominee of the All India Coun-(iv)cil of Technical Education Medical Council of India Dental Council of India as the cases may be-Member;
- State Secretary Higher/Technical/Medical education (depending on the field of specialization of the institution) or his nominee will be co-opted as the Member for the purposes only of determining the fee structure for 'deemed universities' in the State concerned:
- An officer of the UGC of the Rank of Additional Secretary-Member Secretary.

6.5 Procedure to be Adopted by the Committee:

- Secretarial Assistance to the Committees referred in 5.2 and 5.3 will be rendered by the Directorates of Technical and Higher education respectively of the State Government concerned. The Standing Committee referred to in 5.4 will be assisted by the Secretariat of the UGC.
- Members of the Committee, other than ex-officio Members, will hold office for a period of three years. The recom-(b) mendations of the Committee will also be valid for three years.
- Each Committee will be free to device its own procedure. The procedure will however, compulsorily include (c) giving opportunity to the institutions concerned to furnish such material as they consider relevant: The Committee will also have power to call for such information and details as it considers relevant. To carry out its functions smoothly, the bodies would lay down timebound 'action-calendars' and 'dead-lines' for compliance of the institutions concerned and for completing the Committees' own tasks.
- Fee once determineed shall be in force for three years. The Committees may determine different rates of fee for (d) Institutions falling in different classes, if a classification is justified on intelligible and objective criteria. In particular the Committees will be free to fix different rates for institutions located in rural areas.
- The UGC and the AICTE, as the case may be, will have power to call for information and clarifications from the (e) Committees under their purview.
- While determining the fee chargeable, it will be the duty of the Committee to ensure that Fee does not become a (f) source of profit or commercialisation for the institutions concerned. This approach would be in conformity with pronouncements of the Court in cases dealing with fee determination.

्राम्बिके के प्राप्त कर कार्य के लिए हैं है के उनके हैं अनुकार के **क्षानुस्थान के कि**या के किया कर कर कर है है है के

6.6 Fee Determination: Fee will have two broad categories-Tuition Fee and Development Fee. the analysis of the second secon

विकास के किया है कि किया कि किया है कि किया है कि किया क Besides, the management of the institutions may realise the actual cost of boarding & messing from the above students subject to the relevant Committee being satisfied about the reasonableness of such costs.

- Tuition Fee will seek to recover the actual cost of imparting education. While assessing a fair tuition fee the (b) Committee will take into account the following:
 - Salary and allowances including bonus, if admissible, to teaching and non-teaching employees; (i)
 - (ii) Expenditure on administrative services:
 - (iii) Cost of maintenance of laboratories including consumables:
 - Contingent expenditure including statutory requirements like audit fee etc. (iv)
 - (v) Cost of acquisition of books and journals for libraries; and
 - Maintenance of buildings and other assests including rents and tariffs.

Keeping the above parameters in view, suitable rates will be fixed for holders of 'free', 'payment', and 'NRI/Foreign Students' categories.

- The UGC and AICTE will forthwith prepare norms relating to staffing and scales of expenditure for other items wherever such norms have not so far been worked out, to the extent feasible. In cases where it is difficult to lay down specific quantified norms the relevent. Committee shall satisfy themselves, about the adequacy and reasonableness of the expenditure involved. Care will be taken to ensure that the projected expenditure does not become a source of profit to the sponsors.
 - As the scheme in Unnikrishnan prohibits commercialization and profit-making, it will not be open to the institutions concerned to claim any return on invertitients. This should, however, not come in the view of the institutions in mobilizing resources for replacement and appradation of assets. Further, while earning return on investment

- (d) Fee chargeable by Institutions deemed to be universities, will be determined by a Standing Committee of the University Grants Commission consisting of :
 - (i) A Member of the Commission-Chairperson;
 - One Vice-Chancellor to be nominated by the Commission-Member;
- Three experts, one each in Econimics. Cost Accountancy and Institutional Finance to be nominated by the (iii)Commission-Members:
- Where a deemed university conducts courses in Technical Medical Education, a nominee of the All India Coun-(iv) cil of Technical Education. Medical Council of India Dental Council of India as the cases may be-Member:
- State Secretary Higher/Technical/Medical education (depending on the field of specialization of the institution) or his nominee will be co-opted as the Member for the purposes only of determining the fee structure for 'deemed universities' in the State concerned;
- (vi) An officer of the UGC of the Rank of Additional Secretary-Member Secretary.

6.5 Procedure to be Adopted by the Committee:

- Secretarial Assistance to the Committees referred in 5.2 and 5.3 will be rendered by the Directorates of Technical and Higher education respectively of the State Government concerned. The Standing Committee referred to in 5.4 will be assisted by the Secretariat of the UGC.
- Members of the Committee, other than ex-officio Members, will hold office for a period of three years. The recom-(b) mendations of the Committee will also be valid for three years.
- Each Committee will be free to device its own procedure. The procedure will however, compulsorily include (c) giving opportunity to the institutions concerned to furnish such material as they consider relevant; The Committee will also have power to call for such information and details as it considers relevant. To carry out its functions smoothly, the bodies would lay down timebound 'action-calendars' and 'dead-lines' for compliance of the institutions concerned and for completing the Committees' own tasks.
- Fee once determineed shall be in force for three years. The Committees may determine different rates of fee for (b) Institutions falling in different classes, if a classification is justified on intelligible and objective criteria. In particular the Committees will be free to fix different rates for institutions located in rural areas.
- The UGC and the AICTE, as the case may be, will have power to call for information and clarifications from the (e) Committees under their purview.
- While determining the fee chargeable, it will be the duty of the Committee to ensure that Fee does not become a (1) source of profit or commercialisation for the institutions concerned. This approach would be in conformity with pronouncements of the Court in cases dealing with fee determination. 6.6 Fee Determination:

Fee will have two broad categories-Tuition Fee and Development Fee. The second स्त्री के क्षेत्र के किया है कि किया । क्षेत्र के किया के किया के किया के किया के किया कि किया है कि किया कि क किया कि किया के किया कि किया क

Besides, the management of the institutions may realise the actual cost of boarding & messing from the above students subject to the relevant Committee being satisfied about the reasonableness of such costs. (b)

- Tuition Fee will seek to recover the actual cost of imparting education. While assessing a fair tuition fee the Committee will take into account the following:
 - Salary and allowances including bonus, if admissible, to teaching and non-teaching employees; (i)
- (ii) Expenditure on administrative services:
- Cost of maintenance of laboratories including consumables: (iii)
- (iv) Contingent expenditure including statutory requirements like audit fee etc.
- Cost of acquisition of books and journals for libraries; and (v)
- Maintenance of buildings and other assests including rents and tariffs. (11)

Keeping the above parameters in view, suitable rates will be fixed for holders of 'free', 'payment', and 'NRI/Foreign Students' categories.

- The UGC and AICTE will forthwith prepare norms relating to staffing and scales of expenditure for other items. wherever such norms have not so far been worked out, to the extent feasible. In cases where it is difficult to lay down specific quantified norms the relevent. Committee shall satisfy themselves, about the adequacy and reasonableness of the expenditure involved. Care will be taken to ensure that the projected expenditure does not become a source of profit to the sponsors. . _ ,
- As the scheme in Unnikrishnan prohibits commercialization and profit-making, it will not be open to the institutions concerned to claim any return on investments. This should, however, not come in the way of the institutions in mobilizing resources for replacement and appradation of assets. Further, while earning return on investment

would not be permissible the court had, in the Unnikrithman judgement left the question of recovering investment on the Central Government and the statutory bodies, it is therefore, considered desirable that the Development Fee, could provide for an element of partial capital east recovery to the Management (but not a return on investment) and to serve as a resource for takeep and replacement.

- Development Fee may be at that rates to be determined every three years by the AICTE and UGC as the case may be. Different rate may be prescribed for "Payment". "Free Ment", and Foregin NRI' seat holders. These biodies could also classify institutions in different categories for the purposes of prescribing different slabs provided such 1 = 1 categorization is based on intelligible and objective criteria
- In the first ten years, it would be open to the managements to appropriate upto half of the proceeds of the development fee or the actual capital cost, whichever be lower. The remaining half will have to be utilised for approduction (i) and replacements in the first ten years and thereafter the entire proceeds will have to be so utilised.
- As the fee chargeable will be actified by the relevant Committee, it will be the duty of the Statutory body enacemed to communicate the rate of Development Fee to such bodies well in advance to enable the appropriate Committees to suitably incorporate such rates in their Notification. The UGC/AICTE will take into account the views and (g) suggestions of the private institutions, the State Governments and interested members of Public while determining these rates.

6.7 Maintenance of Fee Accounts:

- Institutions will maintain two accounts-Maintenance Accounts and Development Accounts.
- The procesds of Tuition Fee and 'cost recoveries' of boarding and messing etc. will be credited to the Maintenance Accounts. This account will be maintained in two parts—(a) Pay and allowances and (b) other expenditure. All (a) (0) recurring expenditure will be met from this account and brought to account under these two parts.
- At least half the proceeds of Development fee will be credited to the Development Account in the first ten years, after which this Account will receive the entire proceeds of this fee: Miscellaneous receipts of the institution would also be credited to the same account. The proceeds of this fee would be utilised for procurement of equipments. (3) books and journals and acquisition of assets. It will be also be open to the management to debit expenditure on improvement of faculty also to this account.
- The regulations of UGC and the AICTE will provide for Audit of accounts of the relevant institutions, to ensure that the financial managements conforms to the broad framework of these guide-lines and the regulations. (d)

- 6.8 Other procedural matters connected with levy of feet Fee once fixed will be valid for a period of three years. Fee will be payable in advance for a semester, each Committee will notify for general information the total fee payable per semester in the month of December every year, for the next year, in two News papers having wide circulation in the State concerned. This exercise shall be (3) carried out annually notwithstanding the fact that the rates once fixed will be in force for three years.
 - While fixing fee, once every three years, the Committees will take into account the unspent balance, if any in the maintenance and development accounts while fee for the next three years. (b)
 - Institutions which levy fee at rates higher than those fixed, or fail to maintain accounts in the manner laid down or are otherwise found to contravene the provisions of the appropriate Regulations are liable to have their permission (c) affiliation cancelled. The appropriate regulations will incorporate these guidelines.
 - 7. Resolved that the above be suitably incorporated in regulations of the University Grants Commission and the All India
 - S. Resolved further that for the above purposes that resolution be deemed to be instructions issued by the Central Government Council of Technical Education. to the University Grants Commission under sub-section (1) of Section 20 of the UGC Act 1956 and under sub-section (1) of Section 20 of the AICTE Act-1987. P. R. DASGUPTA: SECT